न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 103/2022

अनवान : –

1. सौरभ पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 13/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 48/471 की कुल 12.3810है0 भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सौरवकुमार पुत्र रोहताश दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सौरभ पुत्र रोहताश है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका प्रमाण पत्र आदि में दर्ज राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सौरभ पुत्र रोहताश दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम सौरवकुमार की जगह सौरभ पुत्र रोहताश संशोधित कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा बिल आखिर बमुकाम तहसील नोहर कतई इन्कार हो गया लिहाजा यही बिनाय मुखस्मत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस ... प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सौरभ पुत्र रोहताश है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सौरवकुमार गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 48/471 की कुल 12.3810है0 भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है; जिसमें प्रार्थी अपना नाम सौरवकुमार पुत्र रोहताश के स्थान पर सौरभ पुत्र रोहताश दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका प्रमाण पत्र आदि में सही नाम सौरभ पुत्र रोहताश अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का सोनड़ी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 48/471 की कुल 12.3810है0 भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी सौरवकुमार पुत्र रोहताश के स्थान पर सही नाम सौरभ पुत्र रोहताश किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सौरवकुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सौरवकुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सौरवकुमार पुत्र रोहताश ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:49 IST
Reason: SelfAttested